

विश्वभारती
 शांतिनिकेतन

सूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओएस) के पदनाम विश्वभारती के तहत सभी प्रशासनिक इकाई एवं कार्यालयों के अलावा एक प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए), एक पारदर्शिता अधिकारी (टीओ) एवं एक केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) को विशेष दायित्व के साथ मनोनीत किया जाता है।

अतः, पूर्व आदेश सं. आरईजी/आरटीआई अधिनियम-1/कुलसचिव दिनांक 24.05.2016 के आलोक में, सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अकादमिक एवं गैर-अकादमिक अधिकारी जो आरटीआई अधिनियम प्रावधान संबंधित के अनुसार विभिन्न क्षमता के तहत कार्य करेंगे एवं आरटीआई अधिनियम की धारा 19(8) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देशानुसार सीआईसीएस स्पष्टीकरण दिनांक 09.12.2010 के वाइड सं. सीआईसी/एटी/डी/10/000111 दिनांक 15.11.2010 का संदर्भ लें।

क्र.सं.	आरटीआई कार्य	मनोनीत अधिकारी	दायित्व का संक्षिप्त विवरण
1	आरटीआई अधिकारी की धारा 19 (i) के तहत प्रथम अपील प्राधिकारी	कुलसचिव	आरटीआई अधिनियम संबंधित प्रावधान के तहत प्रथम अपील का निपटान करना
2	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) वाइड सं. सीआईसी/एटी/डी/10/000111 दिनांक 15.11.2010 के द्वारा निर्देशित पारदर्शिता अधिकारी (टीओ)	वित्त अधिकारी	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पत्रांक सं. सीआईसी/एटी/डी/10/000111 दिनांक 15.11.2010 निर्देशानुसार इस संदर्भ में सीआईसी 'एस का स्पष्टीकरण दिनांक 09.12.2010 के तहत कार्य करें।
3	सांघिक कार्यालय/भवन/विभाग/केंद्र/अनुभाग/प्रशासनिक इकाई के संदर्भ में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओएस)	सभी अध्यक्ष/संबंधित कार्यालय प्रभारी/भवन/विभाग/केंद्र/अनुभाग सभी सांघिक निदेशक, प्रिंसिपल, वित्त अधिकारी, विभिन्न केंद्र के निदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/ विश्वविद्यालय अभियंता/ सहा. कुलसचिव सहित एवं प्रशासनिक इकाई के मुख्य अन्य अधिकारी सिवाए कुलपति, समकुलपति एवं कुलसचिव	आरटीआई अधिनियम से संदर्भित संबंधित कार्यालय/ भवन/ विभाग/केंद्र/अनुभाग/प्रशासनिक इकाई को संबंधित प्रावधान के तहत उक्त सूचना-प्रदान करेंगे।
4	कुलपति कार्यालय से संबंधित केंद्रीय	कुलपति के गोपनीय सचिव	कुलपति कार्यालय से

	लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)	(सीएस)	संबंधित आरटीआई अधिनियम प्रावधान के तहत उक्त सूचना प्रदान करेंगे।
5	सम कुलपति कार्यालय से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)	सम कुलपति के नियुक्ति होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।	सम कुलपति कार्यालय से संबंधित आरटीआई अधिनियम प्रावधान के तहत उक्त सूचना प्रदान करेंगे।
6	कुलसचिव कार्यालय से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)	कुलसचिव निजी सचिव (पीए)	कुलसचिव कार्यालय से संबंधित आरटीआई अधिनियम प्रावधान के तहत उक्त सूचना प्रदान करेंगे।
7	केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ)	संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन)	आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के तहत केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में कार्य निष्पादन करेंगे।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू करें।

संदर्भ सं. आरटीआई/अधिसूचना/70/2018-19
दिनांक : 29.09.2018

हस्ता/-
कुलसचिव (कार्यकारी)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. सभी निदेशक
2. भवनों के प्रिंसिपल/सभी विभाग
3. कुलसचिव
4. वित्त अधिकारी
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. प्रोक्टर
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
8. सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव एवं समकक्ष अधिकारी
9. विश्वविद्यालय अभियंता
10. कुलपति के गोपनीय सचिव
11. अन्य अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग के अध्यक्ष/केंद्र/कार्यालय/प्रशासनिक इकाई
12. कुलसचिव के निजी सचिव
13. हिंदी अधिकारी - हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
14. प्रभारी, कम्प्यूटर केंद्र - अनुरोध है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।